

35 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत कर्मचारी कल्याण निरीक्षक, लेवल-6, 9300-34800+ग्रेड पे-4200/- के लिये पाठ्यक्रम:-

- 1-कर्मचारी कल्याण निधि इसका संगठन, उद्देश्य एवं कार्य प्रणाली
- 2-स्टेशन एवं क्षेत्रीय कौंसिल का गठन एवं कार्य प्रणाली
- 3-ग्रान्ट आफ चिल्ड्रन, एजुकेशन एलाउन्स एवं रि-इम्बरसमेन्ट आफ ट्यूशन फीस।
- 4-इन्स्टीट्यूट का प्रबन्धक एवं कार्य प्रणाली।
- 5-कर्मचारी आवासो के आवंटन सम्बन्धी नीति तथा किराये की वेतन बिल से इसकी वसूली।
- 6-सहाकारी, समिति, कार्य प्रणाली एवं सीसीएस त्रटण की वसूली।
- 7-विभिन्न प्रकार के अग्रिम की वापस अदायगी।
- 8-अग्नि कांड से क्षति सम्बन्धी रिपोर्ट एवं उपचार कार्यवाही।
- 9-भविष्य निधि अधिनियम 1925 भविष्य निधि नियम एवं कर्मचारियों के न्यू पेंशन स्कीम।
- 10-खेल कूद, स्काउटिंग, कला सोसायटी व बाल कैम्प।
- 11-पेमेन्ट आफ वेजेज एक्ट।
- 12-फैक्ट्री अधिनियम तथा इसके अधीन राज्य सरकारों द्वारा बनाये गये नियम।
- 13-वर्कमैन कम्पनशेसन एक्ट।
- 14-इण्डस्ट्रीयल डिस्प्यूट एक्ट।
- 15-मिनिमम वेजेज एक्ट।
- 16-स्थायी वार्ता तंत्र ट्रेड यूनियन अधिनियम।
- 17-एचओईआर।
- 18-ओवर टाइम।
- 19-रेल सेवा (आचरण) नियम 1966।
- 20-अनुशासन एवं अपील नियम।
- 21-चिकित्सा परिचर्या तथा उपचार कर्मचारियों का संविलयन इत्यादि।
- 22-कल्याण-कार्य कार्यक्रम एवं परामर्शदाता समिति।
- 23-सुझाव एवं आविष्कार समिति।
- 24-सामाजिक एवं औद्योगिक मनोविज्ञान।
- 25-स्वच्छता एवं स्वास्थ्य विज्ञान।
- 26-बाढ़, अग्निकाण्ड इत्यादि जैसे विशेष घटनाओं सम्बन्धी रिपोर्ट करना।
- 27-भारतीय रेलों का इतिहास एवं पूर्वोत्तर रेलवे का संगठन।
- 28-नोटिंग/ड्राफ्टिंग।
- 29-सामान्य ज्ञान।
- 30-राजभाषा।

मण्डल कार्यालय अधिकारी
पू० उ० रेलवे विभाग
Divisional Personnel Officer
N. E. Rly. Izatnagar